Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, पर्यावास भवन, सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नया रायपुर

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

आदेश

क्रमांक.....123...../2017 दिनांक 22/05/2017

विषयः- छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति बाबत्।

--- 000 ---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की संपत्तियों के किश्त/किराया समय पर जमा नहीं करने पर बकाया राशि वसूलने तथा निष्कासन की कार्यवाही हेतु सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एफ 4-72/2007/32 दि.09.03.2017 द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.03. 2014 को अधिकमित करते हुए, मण्डल अधिनियम 1972 की धारा 2 (7) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दर्शाए गए क्षेत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है :-

क्र.	प्राधिकृत अधिकारी	क्षेत्र (राजस्व जिला)
1	2	3
1.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-रायपुर मुख्यालय।	जिला-रायपुर, भाटापारा-बलौदाबाजार
2.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-नया रायपुर।	जिला-रायपुर, गरियाबंध, महासमुन्द, धमतरी
3.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-दुर्ग	जिला-दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम (कवर्धा), बालोद, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर सुकमा एवं कोण्डागांव
4.	उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल वृत्त-बिलासपुर	जिला-बिलासपुर,जांजगीर-चांपा,रायगढ़,कोरबा,सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली एवं जशपुर।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 53वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 04.05.2017 के एजेण्डा कमांक 12 पर पारित संकल्प कमांक 1518/12/53/05/2017 में उपरोक्त अधिसूचना के पालन हेतु मण्डल की ओर से समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मण्डल के पत्र क्रमांक-612 एवं 613, दिनांक 15.03.2017 द्वारा प्रेषित जानकारी संबंधी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए अन्य सभी प्रकार के आवश्यक निर्णय एवं आगामी कार्यवाही हेतु आयुक्त को अधिकृत किया गया।

आदेशानुसार

मुख्य संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
मुख्यालय, पर्यावास भवन, नया रायपुर

क्रमशः-02